कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, 92 / 74, आर0 के0 पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**043 / 13, 12.09.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, 92 / 74, आर0 के0 पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा दिनांक 12.09.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा गैस चूल्हे आदि की बिक्री का कार्य किया जाता है। उनके द्वारा ' प्लास्टिक से निर्मित सिलेण्डर ट्राली ' पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 22.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा पत्र संख्या-1702, दिनांक 23.10.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा गैस चूल्हे आदि की खरीद-बिक्री का कारोबार किया जाता है तथा गैस सिलेण्डर ट्राली की खरीद-बिक्री का व्यापार आरम्भ किया जाना है। उनके द्वारा गैस सिलेण्डर ट्राली को व्यापारी से मॅगाकर देखा गया तथा पाया कि यह ट्राली प्लास्टिक की बनी हुई जिसमें प्लास्टिक निर्मित चार छोटे पहिये लगे हुए हैं। ट्राली केवल सिलेण्डर रखने तथा सिलेण्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाने / ले जाने क लिए के लिए काम में लाई जा सकती है। चूॅकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिलेण्डर ट्राली के नाम से कोई वस्तु विज्ञापित नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत विज्ञापित न होने के कारण सिलेण्डर ट्राली पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करदेयता बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ की आख्या का समर्थन किया गया।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्लास्टिक से निर्मित सिलेण्डर ट्राली जिसमें लोहे के नट बोल्ट के माध्यम से पहिये फिट किये जाते हों ऐसी वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता

.......2

है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 जनवरी, 2014

ह0 / 28.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।